संख्या-7/2025 /77-1002(002)/1)2022/001-933

प्रेषक,

निर्मेष कुमार शुक्ल,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग, उ0प्र0, कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 21.03.2025

विषय:- इंस्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग यू0पी0 (इटप), लखनऊ हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-3/2025/77-1002(002)/1/2022/001-933 दिनांक 11.03.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 84.23 लाख (रूपये चौरासी लाख तेइस हजार मात्र) आपके निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी हैं।

2- अवगत कराना है कि उपरोक्त शासनादेश दिनांक 11.03.2025 के प्रस्तर-2 की छठी पंक्ति में टंकण त्रुटिवश प्रथम किश्त की धनराशि रू0 **"50.52500"** लाख के स्थान पर रू0 **"50.50500"** लाख अंकित हो गया है।

3- अतएव उक्त शासनादेश दिनांक 11.03.2025 के प्रस्तर-2 के छठी पंक्ति में प्रथम किश्त की धनराशि रू0 **"50.50500"** लाख के स्थान पर रू0 **"50.52500"** लाख पढ़ा जाय तथा उक्त शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्ते यथावत रहेगी।

भवदीय,

(निर्मेष कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-7/2025 /77-1002(002)/1/2022/001-933, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, अर्थ अनुभाग, उ0प्र0, कानपुर।

3- कोषाधिकारी, लखनऊ।

4- संयुक्त निदेशक, उद्योग, मध्य क्षेत्र, लखनऊ।

5- महाप्रबन्धक/इंस्टीट्यट आफ टूल रूम ट्रेनिंग यू0पी0(इटप), लखनऊ को इस अभियुक्ति के साथ प्रेषित कि उक्त आहरित धनराशि का उपयोग करने के पश्चात अरौद्योगिक विकास अनुभाग-1 को नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र अतिशीघ्र उपलब्ध करायेंगे।

6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 लघु उद्योग, निगम, कानपुर।

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/4/6, उ0प्र0 शासन।

8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन।

9- नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।

10- औद्योगिक विकास अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

11- गोर्ड फाइल।

आज्ञा से,

(निर्मेष कुमार शुक्ल)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।